

आतंकवाद वरिष्ठी एजेंडा को पुनः बढ़ावा

यह एडटिप्रियल 17/12/2022 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "Counteracting terror: On action against groups targeting civilians" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में आतंकवाद और इसके उन्मूलन के लिये उठाए जा सकने वाले उपायों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

आतंकवाद (Terrorism) अपने सभी सभी रूपों में अस्वीकार्य है और इसे कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। आज हर भूभाग के सभी राज्य आतंकवाद के प्रति संवेदनशील हैं और यह खतरा वैश्वकि चति का विषय बन गया है। भारत अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही देश के विभिन्न हस्तियों में उग्रवाद (Insurgency) और आतंकवाद की समस्या का सामना कर रहा है।

- आतंकवादी समूह उन्नत और परिष्कृत तकनीकों को अपनाते हुए विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लेते रहे हैं जो उनकी गतिविधियों को और अधिक नृशंस बना देते हैं। इस परिवृत्ति में, भारत को वैश्वकि आतंकवाद वरिष्ठी रणनीति के अनुरूप सीमा-आतंकवाद का मुकाबला और प्रतिरोध करने के लिये समान रूप से बेहतर रणनीतिविकासिति करनी होती है।

भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये वर्तमान ढाँचा

- भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की [आतंकवाद नियंत्रण समिति \(CTC\)](#) की एक विशेष बैठक की मेजबानी की जो 'आतंकवादी उद्देश्यों के लिये नई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के नियंत्रण' (Countering the use of new and emerging technologies for terrorist purpose) और 'नो मनी फॉर टेरर' (No Money For Terror) के मुख्य विषय पर आयोजित थी।
- [गैर-कानूनी गतिविधियों \(रोकथाम\) अधिनियम](#) (Unlawful Activities Prevention Act- UAPA), 1967 को अगस्त 2019 में संशोधित किया गया था ताकि विभिन्न आतंकवादी के रूप में नियंत्रण किया जा सके।
- वर्ष 2016 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद स्क्रीनिंग सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिये एक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किये थे और इसके प्रवर्तन पर कार्य जारी है।
- केंद्र सरकार के स्तर पर, [राष्ट्रीय अन्वेषण अभियान](#) (National Investigation Agency- NIA) आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये प्रमुख कानून प्रवर्तन जाँच एजेंसी है।
 - भारतीय संसद ने NIA को विदेशों में आतंकवाद के मामलों की जाँच कर सकने की क्षमता प्रदान करने के लिये NIA अधिनियम, 2008 में संशोधन पाराति किया।
 - राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) एकमात्र संघीय आकस्मिक बल के रूप में राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया के लिये अधिदिश रखता है।
- विधिव्यवस्था राज्य सूची का विषय है और भारत की विभिन्न राज्य सरकारें कानून एवं व्यवस्था के लिये ज़िम्मेदार बनी हुई हैं। भारत की राज्य-स्तरीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों आतंकवादी कृतयों का पता लगाने, उनके निवारण और रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
 - त्वरित प्रथम प्रतिक्रिया के लिये वर्ष 2008 के बाद राज्य आतंकवाद वरिष्ठी दस्ते (State antiterrorism squads) बनाए गए थे।

आतंकवाद का मुकाबला करने की राह की चुनौतियाँ

- आतंकवाद का वित्तीयोषण: [अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष](#) और [विश्व बैंक](#) के अनुमान के अनुसार अपराधियों द्वारा प्रतिवर्ष चार ट्रिलियन डॉलर तक की मनी-लॉन्डरिंग की जाती है। आतंकवादियों द्वारा धन के लेनदेन को दान और वैकल्पिक प्रेषण विधियों के माध्यम से छुपाया जाता है।
 - यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को कलंकित करता है और प्रणाली की अखंडता में जनता के भरोसे को कम करता है।
 - कई राज्यों पर आतंकवादी संगठनों को प्रायोजित करने और आतंकवाद के वैश्वकि खतरे में योगदान देने का भी आरोप है।
 - इसके अलावा, करपिटोकरेंसी के विविध विधियों के लिये अनुकूल 'बरीडिंग ग्राउंड' बना सकती है।
- आतंकवाद नियंत्रण का राजनीतिकरण: आतंकवादियों की पहचान के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों (P5) ने अलग-अलग स्तर की वीटो शक्ति का प्रयोग किया है।
 - इसके साथ ही, आतंकवाद के संघटन के संबंध में इसकी कोई सार्वभौमिक रूप से संघीकृत प्रभाविता नहीं है, इसलिये कर्सी गतिविधियों को आतंकवादी कृतयों के रूप में वर्गीकृत करना कठिन है, जो फिर आतंकवादियों को एक बढ़त प्रदान करती है और कुछ देशों को चुप रहने तथा

वैश्वकि संस्थाओं के पटल पर कसी भी कार्रवाई को वीटो करने का अवसर देती है।

- **आतंकवादीयों द्वारा उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग:** कंप्यूटिंग और दूरसंचार में व्यापक इंटरनेट पहुँच, एंड-टू-एंड एनक्रप्शन और वरचुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) जैसे नवाचारों ने दुनिया भर में बड़ी संख्या में कंट्रोलरपंथी व्यक्तियों के लिये नई प्रकार की गतिविधियों को संभव बना दिया है, जो खतरे में योगदान दे रहा है।
 - **आतंकवाद की सोशल नेटवर्किंग:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आतंकी नेटवर्क और उनके 'वैचारिक सहयात्रियों' के 'टूलकटि' में शक्तिशाली उपकरणों में बदल गए हैं।
 - इसके अलावा, 'लोन बुलफ' हमलावरों ने नई तकनीकों तक पहुँच प्राप्त कर अपनी कषमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि किर ली है।
 - **जैव-आतंकवाद:** जैव प्रौद्योगिकी मानव जाति के लिये वरदान है, लेकिन यह एक बड़ा खतरा भी है क्योंकि जैविक एजेंटों की छोटी मात्रा को आसानी से छपिया जा सकता है, इसका परविहन किया जा सकता है और इसे कमज़ोर आबादी पर छोड़ा जा सकता है।
 - वशिव भर में खाद्य सुरक्षा को बाधति करने के लिये उष्णकटिबंधीय कृषिरोगजनकों या कीटों को भी एंटीक्रॉप एजेंटों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

आगे की राह

- **आतंकवाद वरिष्ठी एजेंडे को पुनः सक्रिय करना:** एकजुटता की आवश्यकता पर बल देकर और आतंकवादियों की पहचान के संबंध में P5 की वीटो शक्ति को नयिंतरति करके आतंकवाद के वैश्वकि एजेंडे को पुनः सक्रिय करना आवश्यक है।
 - **आतंकवाद की एक सारवभौमिक परभिषा को अपनाना:** आतंकवाद की एक सारवभौमिक परभिषा आवश्यक है ताकि संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के सभी सदसय इसे अपने स्वयं के आपराधिक कानूनों में शामिल कर सकें, आतंकवादी समूहों पर प्रतिविध लगा सकें, वरिष्ठ कानूनों के तहत आतंकवादियों पर मुकदमा चला सकें और सीमा-पर आतंकवाद को दुनिया भर में एक प्रत्यरपणीय अपराध बना सकें।
 - भारत ने वर्ष 1986 में संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय **आतंकवाद पर व्यापक समझौता** (CCIT) पर एक मसौदा दस्तावेज का प्रस्ताव रखा था। हालाँकि इसे अभी UNGA द्वारा स्वीकार किया जाना शेष है।
 - **युवाओं को आतंकवाद के चंगुल से बचाना:** शैक्षकि प्रतिष्ठान अहसिं, शांतिप्रूष सह-अस्ततिव और सहषिणुता को बढ़ावा देने में महत्वपूरण भूमिका निभाते हैं।
 - इसके साथ ही, आरथकि और सामाजिक असमानताओं से नपिटने के लिये नीतियों के नरिमाण से असंतुष्ट युवाओं को आतंकवाद की ओर आकर्षित होने से रोकने में मदद मिलती है।
 - **NIA की क्षमता का वसितार:** घुसपैठ को रोकने के लिये खुफिया एजेंसियों एवं सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के साथ ही सीमा पार आतंकवाद से नपिटने के लिये भारतीय सैन्य बल को वरिष्ठ रूप से प्रशक्षित किया जाना चाहयि।
 - इसके अतरिक्त, स्पैसी ट्रायल के लिये भारत को अपनी राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिकि सक्षम करने तथा आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानूनी प्रोटोकॉल लागू करने की भी आवश्यकता है।
 - **आतंक वित्तपोषण पर अंकुश लगाना:** कठोर कानूनों का नरिमाण किया जाना चाहयि जहाँ बैंकों के लिये ग्राहकों के बारे में उचित रूप से वचिर करने और संदर्भिध लेनदेन की रपोर्ट करने की आवश्यकता हो ताकि आतंक वित्तपोषण पर नयिंतरण स्थापित हो सके।
 - इसके साथ ही, भारत करपिटोकरेंसी को वनियमिति करने की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है।

अभ्यास प्रश्न: भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये मौजूदा ढाँचे की चर्चा कीजिये। इसके साथ ही, सुझाव दें कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT) आतंकवाद से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में कैसे मदद कर सकता है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

पर. 'हैंड-इन-हैंड 2007' एक संयुक्त आतंकवाद वरिष्ठी सेनेत्र प्रश्नाक्षण भारतीय और नमिनलखिति में से कसी देश की सेना के अधिकारियों द्वारा आयोजित किया गया था? (वर्ष 2008)

- (A) चीन
 - (B) जापान
 - (C) रूस
 - (D) युएसए

उत्तरः (A)

????????????????????

पर. आतंकवाद का अभिशाप राष्ट्रीय सुरक्षा के लाए एक गंभीर चुनौती है। इस बढ़ते खतरे को रोकने के लाए आप क्या उपाय सुझाएंगे? आतंकवादी वित्तिपोषण के परम्परा स्रोत क्या हैं? (वर्ष 2017)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/re-energizing-counter-terrorism-agenda>

